

प्रेषक,

निदेशक, (उच्च शिक्षा)
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
उ०प्र०, प्रयागराज।

सेवा में,

- 1-कुल सचिव
समस्त राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश
- 2-समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: डिग्री विकास/ 15646-47 /2018-19 दिनांक 8-01-2018

विषय:-पर्यावरण के मानकों का अनुपालन करने हेतु शैक्षणिक संस्थानों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-भा०स००५७/सत्तर-३-२०१८ दिनांक २० दिसम्बर, २०१८ के साथ संलग्न संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या-क्यू-१८०११/७५-२०१८-सी०पी०ए० दिनांक २७ नवम्बर २०१८ (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा० NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH NEW DELHI के आदेश दिनांक २३ जुलाई २०१८ के O.A नं० ४५२/२०१८ दिनांक २३ जुलाई २०१८ द्वारा पर्यावरण (सुरक्षा) ऐक्ट १९८६ के अन्तर्गत शिक्षण संस्थाओं में निधारित पर्यावरण माप दण्ड के अनुसार ध्वनि प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का निर्देश दिया गया है।

अतः उक्त के अनुपालन में आप से अनुरोध है कि मा० NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH के दिनांक २३ जुलाई २०१८ द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले शैक्षिक संस्थाओं को इसका अनुपालन कराये जाने हेतु आप अपने स्तर से आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें जिससे शासन को सूचना प्रेषित की जा सके। प्रकरण मा० न्यायालय से आच्छादित है। अतः इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करते हुये आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उक्तवत

भवदीय,

डा०(दिलीप कपूर),
संयुक्त निदेशक(उ०शि०)
कृते-शिक्षा निदेशक(उ०शि०)
उ०प्र०, प्रयागराज

पृष्ठांकन संख्या डिग्री विकास/

प्रतिलिपि-संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग-३ उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

/ तददिनांक।

DR (Adm) / Coordinator,
N.S.S.
09/01/19,
कुलसचिव

डा०(दिलीप कपूर),
संयुक्त निदेशक(उ०शि०)
कृते-शिक्षा निदेशक(उ०शि०)
उ०प्र०, प्रयागराज।